नीरज कुमार V/s राज. सरकार मु.नं.-03/2024

7/8/24 पत्रावली पेश हुई अधि० प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार उच्चैन की जबाव प्राप्त जो शामिल पत्रावली है। पत्रा० वास्ते बहस दिनांक 14/8/24 को पेश हो।
sd/-

14/8/2024 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 20/08/2024 को पेश हो।
sd/-

20/8/24 पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित, अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज एवं जबाव तहसीलदार का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
sd/-

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री विष्णु बंसल (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 03 / 2024

1. नीरज कुमार
2. मनोज कुमार पुत्रान राधारमन जाति वैश्य निवारी उच्चैन जिला भरतपुर राज।

...................प्रार्थीगण

वनाम

1. राजरथान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

...................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 111,128 एल.आर.ए.

उपरिथतिः–
1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

दिनांकः–20/08/2024

निर्णय

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण के कब्जे कास्त की एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1783 / 1615 / 0.1325, 1782 / 1615 / 0.1325है0 वाकै ग्राम तुहिया पट्टी उच्चैन में रिथत है उक्त आराजी से प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक़्ति का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। दिनांक 27.05.2024 को हम प्रार्थीगण ने पैमाइश कराई थी तथा मुताविक पैमाईश के हम प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजी में आवारा पशु नुकसान करते रहते है जिसके कारण हम प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी का सही तरीके से उपयोग एवं उपभोग नहीं कर पा रहे है अतः अपनी खातेदारी के सही उपयोग करने के लिये उक्त आराजी की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की पुलिस इमदाद के साथ पुनः पैमाइश की जाकर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2024 को जबाव पेश किया। प्रार्थी द्वारा पैमाइश रिपोर्ट ग्राम तुहिया पट्टी उच्चैन की छायाप्रति पेश की है जो कि पत्रावली के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने पूर्व में भी तहसीलदार उच्चैन को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार उच्चैन

ने हल्का पटवारी को सीमा ज्ञान के लिए आदेशित किया था। जिसकी पालना में हल्का पटवारी के द्वारा विवादित जायदाद की दिनांक 28.05.2024 को पैमाइश की जा चुकी है।

वकील प्रार्थीगण की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर गौर किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को आदेशित किया जाता हैं कि वह विवादित जायदाद आराजी खसरा नम्बर 1783/1615/0.1325, 1782/1615/0.1325है0 वाकै ग्राम तुहिया पट्टी उच्चैन तहसील उच्चैन का सीमाज्ञान करावें तथा प्रार्थीगण के खर्चे पर पत्थरगढी करावें। इस बावत् अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विष्णु बसंल (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर